

61 नार

पत्रावली दिनांक 17/8/22 को पेश है।

17/8/22

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं
 वादी व वादी अधिवक्ता को सूक-र
 कर 3 बार आवाज लगवाई गई।
 कोर उपस्थित नहीं आया। वादी का
 वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA
 इसी स्तर पर अदम पेशी, अदम
 हाजरी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली निगीति होकर नम्बर से कम
 होकर दाखिल दफ्तर हो



उपसह अतिवक्ता (राजस्व)
 श्री कटनपुर